48

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-1939-I/12

प्रकरण कमांक:- /2012 निगरानी

श्री टी.सी. नरवारिया अभि. द्वारा आज दि. 2-7-12 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

T.C. NARWARIA

शासकीय अधिवक्ता आवेदन के ओर उपस्थित नहीं, इति संलग्न है

1. नारायणी पत्नी स्व. बाबूलाल, 2. रामऔतार, 3. राजेश, 4. नरेंद, 5. महेंद्र
6. धीरज उर्फ छुट्टू पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल समस्त निवासीगण-- डिपो बानमौर जिला मुरैना
7. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री मायाराम पुत्री स्व. श्री बाबूलाल निवासी ग्राम बडा गांव तहसील व जिला मुरैना
8. श्रीमती गुडिया पत्नी दिलीप पुत्री स्व. श्री बाबूलाल निवासी-- जौरा तहसील व जिला मुरैना ------------आवेदकगण

विरूद्ध

1. जय सियाराम पुत्र छोटे लाल जाति ब्राहमण निवासी-- डिपो बानमौर तहसील बानमौर जिला मुरैना म.प्र.
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति लोधे ठाकुर, निवासी डिपो बानमौर जिला मुरैना म0प्र0
3. म.प्र.शासन ------------अनावेदकगण

प्रेमा वर्मा, ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला मुरैना प्रकरण कमांक 60/2011--2012/निग0 मा0।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पमाया के सर्वे कमांक 5 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा जो पटवारी अभिलेख में आबादीपुरा नजूल अंकित है। उसके अंश भाग पर अपीलार्थीगण के पूर्वजों के समय से कब्जा होकर दैनिक उपयोग में आ रहा है।
2. यहकि, प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर से बेदखल कराये जाने हेतु एवं अपीलार्थीगण का अवैध आधिपत्य होने के संबंध ।

2- R. 1939-I/2012 (मुरैना)

03.11.16	आवेदक अधि. श्री पी. के. तिवारी उप. अना. को रजिस्टर्ड सूचना के लिये आवेदक को रजि. डाक लिफाफा तलवाने के रूप में प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 05.10.16 को आदेशित किया गया था। उनके द्वारा रजि. डाक लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया। अतः आवेदन/पुनरीक्षण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अभिलेख वापिस आवक जावे।
	सदस्य

R/14

[कृ. प. उ.